

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या : 61/2020

तारीख दायर : 23.09.2020

अनवान

अजयराज पिता गोपाललाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।

..... प्रार्थीगण

बनाम

01. कजोड़ लाल पिता खेमराज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
02. अशोक पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
03. रवि पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 15/12/2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अजयराज पिता गोपाललाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०) ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में आराजी नं० 394 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वां, आराजी नं० 617 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वां, आराजी नं० 719 रकबा 03 बिस्वां, आराजी नं० 725 रकबा 13 बिस्वां, आराजी नं० 1442 रकबा 11 बिस्वां, आराजी नं० 1450 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वां, आराजी नं० 2123/200 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वां, आराजी नं० 2129/417 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वां, आराजी नं० 2144/1286 रकबा 01 बिस्वां, आराजी नं० 2147/1690 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, कुल किता 10 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वां भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजौलियां खुर्द पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में आराजी नं० 394 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वां, आराजी नं० 617 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वां, आराजी नं० 719 रकबा 03 बिस्वां, आराजी नं० 725 रकबा 13 बिस्वां, आराजी नं० 1442 रकबा 11 बिस्वां, आराजी नं० 1450 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वां, आराजी नं० 2123/200 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वां, आराजी नं० 2129/417 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वां, आराजी नं० 2144/1286 रकबा 01 बिस्वां, आराजी नं० 2147/1690 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, कुल किता 10 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वां भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू०अ०नि० बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां, भीलवाड़ा